

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 25.6.2012

क्रमांक 5288/21-ब/1764/छ.ग./2012, राज्य शासन, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.के. सामंतराय)

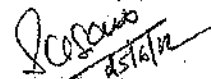
सचिव

छ.ग.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र. 5289/21-ब/1764/एफटीसी/छ.ग./2012
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 25.06.2012

1. सचिव, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, (न्याय विभाग) जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंग रोड, नई दिल्ली,
 2. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
 3. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
 4. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ 10-3/2011/1-6 रायपुर दिनांक 30.5.2012
 5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
 6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव की ओर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ,
 7. मान. विधि मंत्री जी के निज सचिव की ओर विधि मंत्री जी के अवलोकनार्थ,
 8. सचिव, विधि के निज सचिव की ओर सचिव, विधि के अवलोकनार्थ,
 8. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छ.ग. की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशनार्थ,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(सुषमा सावंत)

अतिरिक्त सचिव

छ.ग.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग